न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 27 / 2017 (उदयपुर आर्डर)

मैसर्स फाइन केमिकल्स एक पंजीकृत भागीदारी फर्म (पंजीयन क्रमांक 1732 / 1981 दिनांक 20–04–1981) जरिये भागीदारान :–

1. अजय कुमार जैन पिता स्वर्गीय श्री कपूरचन्द जैन, निवासी 41, बड़ा मोहल्ला, चौकी गेट शेख लतीफ, फिरोजाबाद (उत्तर प्रदेश)
2. मनोज कुमार जैन पिता स्वर्गीय श्री कपूरचन्द जैन, निवासी पी–2–ए, नवीन शाहदरा, दिल्ली–32
3. मनीष कुमार जैन पिता स्वर्गीय श्री कपूरचन्द जैन, निवासी पी–2–ए, नवीन शाहदरा, दिल्ली–32

..... अपीलान्टगण

बनाम

सरकार राज्य जरिय भूमिधारी तहसीलदार, बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू–राजस्व अधिनियम – 1956 विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर, उदयपुर दिनांक 03–04–2017 क्रमांक 12 / 3 (109) राज. / 81 / 714–19

———/———

उपस्थित :– 1– श्री सत्य प्रकाश व्यास अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णय **दिनांक 12–07–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश तथा पत्रावली अनुसार मैसर्स फाइन केमिकल्स उदयपुर द्वारा ग्राम अम्बेरी की बिलानाम आराजी नंबर 318 / 1 रकबा 2 बीघा, 318 / 3 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा एवं 318 मी. रकबा 3 बीघा कुल किता 3 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा भूमि उद्योग लगाने हेतु आवंटन चाहे जाने पर

तहसीलदार गिर्वा ने दिनांक 29–06–1981 को बिलानाम आराजी नंबर 318/1 रकबा 2 बीघा, 318/3 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, 318 मी. रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा एवं आराजी नंबर 608 रकबा 15 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा भूमि आवंटन का प्रस्ताव प्रेषित किया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के तहत दिनांक 20–06–1981 को उक्त कुल किता 4 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा भूमि औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित की गयी। तत्पश्चात दिनांक 26–06–1981 को उक्त आराजियात को जो कि औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित थी उसे राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र नियतन नियम 1959 के तहत मैसर्स फाईस केमिकल्स अम्बेरी को नियतन की स्वीकृति प्रदान की तथा आवंटी को आवंटित भूमि का कब्जा दिनांक 29–06–1981 को दिया गया एवं लीज डीड दिनांक 28–08–1981 को निष्पादित हुई।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली अनुसार तहसीलदार बड़गांव ने उनके पत्र दिनांक 24–10–2013 एवं 16–08–2016 से एक रिपोर्ट दी कि ग्राम अम्बेरी की आराजी नंबर 890, 2808/689 किता 2 रकबा 1.4000 हैक्टर भूमि फाईन केमिकल्स, अम्बेरी प्रो. कपूरचन्द्र के नाम लीज पर दर्ज है। वर्तमान में इकाई बन्द है, किसी प्रकार का उत्पादन वर्तमान में नहीं हो रहा है। लीज जमा हो रही है। इकाई द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की जा रही है। इस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इकाई को दिनांक 03–10–2016 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु दिनांक 15–09–2016 को नोटिस जारी किये, जिस पर प्रार्थी ने उपस्थित होकर जवाब हेतु 15 दिन का अवसर चाहा, जिस पर 15 दिन का समय दिया जाकर आगामी तारीख दिनांक 20–10–2016 को जवाब प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। दिनांक 20–10–2016 को पुनः प्रार्थी ने अधिवक्ता ने जवाब हेतु अवसर चाहा, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय के आदेशानुसार जवाब दिये जाने के उपरान्त भी कोई उपस्थित नहीं हुआ एवं न ही जवाब प्रस्तुत किया गया।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली अनुसार प्रार्थी द्वारा लिखित जवाब डाक द्वारा भेजा गया, जिसमें अंकित किया कि आवंटित भूमि की लीज डीड जमा करायी जाकर समयावधि में आवंटित भूमि पर आधारभूत संरचना का निर्माण किया गया है। आवंटित भूमि पर जो व्यवसाय संचालित होता है यह हस्तनिर्मित उत्पाद है, जो आवंटित परिसर में निरन्तर बनाया जाता है। उक्त

उद्योग हेतु भारी भरकम मशीनरी की आवश्यकता नहीं होती है। फर्म द्वारा उद्योग संचालित करते हुए लाभ अर्जित किया जा रहा है तथा क्रय विक्रय के बिल भी प्राप्त किये जा रहे हैं। प्रार्थी द्वारा लीज शर्तो की पालना की जा रही है। लीज शर्तो की कोई अवहेलना नहीं की गयी है।

आवंटी संस्था का जवाब प्रस्तुत होने पर अधिनस्थ न्यायालय का विवेचन इस प्रकार रहा कि प्रार्थी की तरफ से इकाई के उत्पादनरत रहने की पुष्टि में सामान्य विद्युत बिल प्रस्तुत किये गये हैं, उनमें न्यूनतम राशि अंकित है। इससे प्रथम दृष्टया यह साबित होता है कि आवंटित स्थल पर मात्र व्यवसायिक विद्युत संबंध स्थापित रहा है, जिससे नियमित औद्योगिक गतिविधियां होना साबित नहीं होता है तो जो रिटर्न प्रस्तुत किये हैं उसमें भी बहुत कम राशि अंकित है। अधिनस्थ न्यायालय ने राजस्थान भू–राजस्व (औद्योगिक क्षेत्र आवंटन) नियम 1959 के निमय 7 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार 2 वर्ष की अवधि में उद्योग स्थापित नहीं किये जाने के आधार पर उक्त 6 बीघा 10 बिस्वा के आवंटन को निरस्त कर भूमि तहसील सरकार लिये जाने का आदेश दिनांक 03–04–2017 को पारित किया।

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 03–04–2017 से रूष्ट होकर अपीलान्ट/आवंटन द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 22–05–2017 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट राज्य सरकार को नोटिस जारी किये जाने पर उनकी ओर से राजकीय अभिभाषक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए।

अपीलान्ट द्वारा दौराने अपील आदेश 41 नियम 27 के तहत निम्नानुसार दस्तावेजात प्रस्तुत किये :–

.....

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील अपीलान्ट में अपील मीमों में ही वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराया एवं अधिनस्थ न्यायालय के आदेश को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं राजकीय अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

अपीलान्ट ने प्रमुख उजर यह लिया है कि उदयपुर नगर में हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड कैडमियम धातु का एक बहुत बड़ा उत्पादक है। हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड ने कैडमियम आधारित उद्योग की स्थापना का प्रस्ताव रखा। अपीलार्थी के भागीदारान मूलतः फिरोजाबाद (उत्तर प्रदेश) के रहने वाले हैं, जहां की कांच का कारीगरी व कांच के उत्पादन का उद्योग विश्व प्रसिद्ध है। इस उद्योग में कैडमियम सल्फाइड नामक एक रसायन की आवश्यकता रहती है, जो कांच से तैयार होने वाले विभिन्न उत्पाद में रंग भरने के काम आता है। हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के प्रस्ताव से प्रभावित होकर अपीलान्ट ने कैडमियम को एक रसायनिक प्रक्रिया से गुजार कर उससे कैडमियम सल्फाइड नामक रसायन का उत्पादन करने के लिए उदयपुर नगर के ग्राम अम्बेरी में एक उद्योग स्थापित किया। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा वायु प्रदूषण से ताज महल की सुरक्षा के लिए आगरा फिरोजाबाद क्षेत्र में कोयले से संचालित सभी उद्योग बन्द करके उन्हें गैस आधारित बनाने का आदेश दिया जिसकी वहज से फिरोजाबाद में कांच का व्यापार ही ठप हो गया और सन् 1998 में गैस पाईप लाईन से जैसे–जैसे गैस की आपूर्ति प्रारम्भ हुई बन्द उद्योग फिर से खड़े होने लगे। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ए.आई.आर. 1997 में जो निर्णय पारित किया गया उससे अपीलान्ट का व्यवसाय प्रभावित हो गया। सन् 1998 के आस–पास ही अपीलान्ट के संस्थापक और इसके कारोबार के देखरेख करने वाले श्री कपूरचन्द जी जैन हृदय रोग से ग्रस्त हो गये, जिससे व्यवसाय प्रभावित होने लगा। इसी के साथ सन् 2002 में हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड का निजीकरण होने के साथ ही वहां से कच्चे माल की सप्लाई बन्द हो गयी जिसकी वजह से अपीलान्ट का कारोबार और बुरी तरह प्रभावित होकर घाटे में जाने लगा। अपीलान्ट ने आवंटित भूमि पर न केवल भारी मात्रा में निर्माण करवाया और केमिकल का व्यवसाय स्थापित किया बल्कि उसे करीब 20 वर्षो तक पूर्ण क्षमता से और उसके बाद अब तक सीमित मात्रा में संचालित भी किया है। अपीलान्ट ने इस व्यवसाय हेतु उद्यमी की निम्नलिखित व्यवस्थाऐं भी की :–

(क) लीज डीड का निष्पादन और पंजीयन कराया गया।

(ख) आवंटित भूमि पर नींव से भवन निर्माण का कार्य करवाया गया।

(ग) राजस्थान वित्त निगम से ऋण सुविधा प्राप्त की गयी।

(घ) राजस्थान बिक्री कर और केन्द्रीय बिक्री कर विभाग में फर्म का पंजीयन कराया गया।

(ङ) राजस्थान बिक्री कर और केन्द्रीय बिक्री कर विभाग में दर्ज प्रकरणों का निपटारा करवाया।

(च) फर्म के नाम से ऋण साख सुविधा हेतु सिंडीकेट बैंक और एस.बी.बी. जे. उदयपुर में खाता खुलवाया।

(छ) समय समय पर फर्म के नाम से आयकर विवरणिकाऐं दाखिल की गयी।

(ज) फर्म के नाम से पेन कार्ड प्राप्त किया गया।

(झ) कच्चे माल की खरीद और तैयार माल की बिक्री के बिल संधारित किये गये।

(ञ) आवश्यकतानुसार व्यावसायिक पत्राचार किये।

(ट) श्रमिकों का वेतन रजिस्टर संधारित किया गया।

(ठ) बिक्री कर जमा करवाया गया।

(ड) समय समय पर लीज रेन्ट जमा करवाया गया।

सन् 1999 में श्रीमती भागवन्ती बाई पत्नी भगवानलाल तेली ने एक विवाद खड़ा किया कि सन् 1976 में उसे आराजी नंबर 318/1 रकबा 2 बीघा एवं 318/3 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि नियमन कर दी गयी इसके बाद यह जमीन बिलानाम दर्ज करके उद्योग हेतु अपीलान्ट को आवंटित कर दी गयी जिस पर अपीलान्ट ने अपना उद्योग स्थापित कर लिया है। इस कारण उसे अन्य आराजी दी जावे एवं इस बाबत् एक अपील संख्या 214/1996 माननीय न्यायालय में पेश की। उक्त अपील में फाईन केमिकल्स अम्बेरी एवं तहसीलदार को बतौर प्रत्यर्थी संयोजित किया गया था। भागवन्ती बाई की उक्त अपील दिनांक 14–01–1999 को आंशिक रूप से स्वीकार की गयी, जिसमें यह फाईडिंग दी गयी कि रेस्पोन्डेन्ट अर्थात फाईन केमिकल्स ने आवंटित भूमि पर उद्योग लगा लिया है इस कारण उसे छेड़ना उपयुक्त नहीं है, उपयुक्त यही है कि श्रीमती भागवन्ती बाई को अन्य भूमि दे दी जावे। इसी के साथ श्रीमती भागवन्ती बाई के विवाद का पटाक्षेप हो गया। अपीलान्ट की जानकारी के अनुसार इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14–01–1999 अंतिम और बाध्यकारी हो चुका है। दिनांक 30–04–2013 को महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र उदयपुर ने जिला कलक्टर को एक पत्र प्रेषित कर सूचित किया कि अपीलान्ट का उद्योग

स्थापित हुए 30 वर्ष का समय हो गया है इस कारण उससे बढ़ा हुआ लीज रेन्ट प्राप्त करने के लिए निवेदन किया। इसके बाद अतिरिक्त जिला कलक्टर उदयपुर ने तहसीलदार बड़गांव से जरिये पत्र दिनांक 21–05–2013 व 07–10–2013 को मौके की रिपोर्ट तलब की। तहसीलदार बड़गांव ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 28–10–2013 में यह उल्लेख किया कि ''मौके पर पुराना स्ट्रक्चर है जो वीरान पड़ा हुआ है, लीज की शर्तो की पालना पूर्व में की गयी थी आज की स्थिति में फैक्ट्री बन्द है।'' पुनः दिनांक 29–07–2016 को अतिरिक्त जिला कलक्टर ने तहसीलदार बड़गांव से रिपोर्ट तलब की, जिस तहसीलदार बड़गांव ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 16–08–2016 को प्रेषित की, जिसमें यह वर्णित किया कि :–

''पूर्व में फाईन केमिकल्स के नाम से फैक्ट्री स्थापित थी, वर्तमान में फाईन केमिकल्स के नाम से फैक्ट्री बन्द है तथा मौके पर फैक्ट्री से संबंधित ढांचे खड़े हैं एवं शेडनुमा मकान बना हुआ है, केमिकल्स हेतु बनाये गये कुण्ड नुमा स्ट्रकचर है। किसी प्रकार का प्रोडेक्शन वर्तमान में नहीं हो रहा है। लीज राशि हर साल जमा हो रही है एवं शर्तो की पालना नहीं हो रही है।'' उक्त रिपोर्ट के बाद अपीलान्ट को दिनांक 15–09–2016 को सुनवाई हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिस पर उनके अधिवक्ता जवाब एवं ठोस दस्तावेज पेश करना चाहा, किन्तु कार्यालय की व्यवस्था ऐसी दिखी कि उसे डाक से जवाब भेजना पड़ा। अपीलान्ट को जो कारण बताओ नोटिस जारी हुआ उसमें आवंटन आदेश की दिनांक 26–06–1987 अंकित है, जबकि अपीलान्ट के पक्ष में आवंटन दिनांक 26–06–1981 में हुआ है। इसी से स्पष्ट है कि कारण बताओं नोटिस गलत, अवैध व त्रुटि पूर्ण है। नियम 7 की जिस शर्त को अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय का आधार बनाया है, उसकी वास्तविकता को नहीं समझा है, क्योंकि उसके द्वारा 2 वर्ष की अवधि में उद्योग स्थापित कर लिया गया था, यदि 2 वर्ष की अवधि में उद्योग लगाने की शर्तो का उल्लंघन होता तो उसे कारण बताओ नोटिस वर्ष 1983–84 में ही जारी हो जाता, लेकिन आश्चर्य जनक रूप से ऐसा सूचना पत्र अप ीलान्ट को आज तक जारी नहीं हुआ है। अपीलान्ट के पक्ष में 99 वर्ष की लीज का अस्तित्व है, जिसमें ऐसी कोई शर्त नहीं है कि प्रत्यर्थी इस बात का निरीक्षण करेगा कि आया मौके पर काम हो रहा है अथवा नहीं ये देखा जांचा जावे। अपेक्षित आदेश को देखने से ही स्पष्ट है कि प्रकरण में

प्रशासनिक तरीके से सुनवाई की गयी है। कोई न्यायिक पत्रावली कायम नहीं की गयी है एवं 36 साल पुराने आवंटन को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया है, जो अवैध एवं त्रुटि पूर्ण है। आवंटन की शर्त संख्या 7 का अपीलान्ट द्वारा किसी प्रकार का उल्लंघन नहीं किया गया है। इकाई रूग्ण होकर वर्तमान मेकं कार्यशील नहीं है, परन्तु यह आवंटन निरस्ती का कोई आधार नहीं है, न ही इस प्रकार की कोई शर्त आवंटन आदेश अथवा नियमों में वर्णित है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रेकार्ड का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आवंटन मूलतः वर्ष 1981 में किया जाकर लीज डीड का निष्पादन वर्ष 1981 में ही किया जा चुका है। वर्ष 1981 में किये गये लीज डीड के बाद आवंटन नियमों की शर्त संख्या 7 के अनुसार 2 वर्ष में उद्योग की स्थापना वांछनीय रहती है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में वर्ष 1981 में आवंटन एवं लीज डीड निष्पादन के बाद (32) वर्षो तक अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावती में किसी प्रकार के आवंटन शर्तो की उल्लंघना बाबत् कोई तथ्य वर्णित नहीं किये गये हैं। आवंटन एवं लीज डीड निष्पादित होने के 32 वर्षो बाद वर्ष 2013 में महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र उदयपुर द्वारा उद्योग स्थापित होने के 30 वर्ष बाद बढ़ा हुआ लीज रेन्ट जमा जमा करवाने के लिए जिला कलक्टर को पत्र लिखे जाने पर पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 22–10–2013 को जो रिपोर्ट की गयी है, उसमें लिखा गया है कि लीज डीड की शर्तो की पालना पूर्व में की गयी थी पर आज की स्थिति में फैक्ट्री बन्द है। वर्ष 2013 में उक्त कार्यवाही होने के 3 वर्ष तक पत्रावली में कोई कार्यवाही नहीं किया जाना स्पष्ट है। पुनः वर्ष 2016 में रिपोर्ट तलब किये जाने पर पटवारी द्वारा रिपोर्ट की गयी कि मौके पर निर्माण ढांचे के रूप में है तथा किसी प्रकार का उत्पादन मौके पर नहीं हो रहा है। लीज हर वर्ष जमा हो रही है, आवंटन शर्तो की पालना नहीं हो रही है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय में अपीलाधीन आदेश की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। आश्चर्य जनक रूप से हम यह पाते हैं कि वर्ष 1981 में किये गये आवंटन के बाद वर्ष 2016 में यानि 35 वर्षो बाद उक्त आवंटन को इस आधार पर निरस्त किया गया है कि आवंटन नियमों के नियम 7 की पालना नहीं हुई है, जबकि नियम 7 यह है कि उद्योग आवंटन के 2 वर्ष में स्थापित

हो जाना चाहिए। उद्योग 2 वर्ष में स्थापित हो जाने बाबत् अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में पेश शुदा दस्तावेजात से पूर्णतया स्पष्ट होता है। जिसमें महत्वपूर्ण दस्तावेज रीको द्वारा वर्ष 1983 में कुंआ खोदने की परमीशन दिया जाना, राजस्थान वित्त निगम जयपुर द्वारा वर्ष 1882 में मैनेजर सिंडीकेट बैंक को ऋण के लिए पत्र लिखा जाना, वर्ष 1982 में ही इन्श्योरेन्स कम्पनी द्वारा जारी प्रोविजनल कवर नोट, राजस्थान वित्त निगम द्वारा जारी एन.ओ.सी. प्रमाण पत्र, हिन्दुस्थान जिंक जो तत्समय सार्वजनिक उपक्रम था, उसके द्वारा इकाई को किये गये कच्चे माल की आपूर्ति के कागजात आदि से यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 1981 से लेकर कई वर्षो तक उक्त उद्योग संचालित रहा है। यह और भी अधिक पुष्ट होता है जब यह प्रकट आता है कि उक्त उद्योग प्रयोजनार्थ आवंटित भूमि के सन्दर्भ में जिला कलक्टर (उद्योग) उदयपुर द्वारा मुकदमा नंबर 12/3(109)राजस्व/81–82 दिनांक 26-06-1987 जिससे भागवन्ती बाई द्वारा आवंटी संस्था को किये गये आवंटन को पूर्व में अपने नाम आवंटित होने के कारण आवंटी/अपीलान्ट को किये गये आवंटन को खारिज किये जाने का निवेदन किया, जिस पर जिला कलक्टर (उद्योग) उदयपुर ने उक्त जमीन पुनः अपीलान्ट के नाम दर्ज करने के आदेश दिये, जिसके विरूद्ध भागवन्ती बाई ने इस न्यायालय में अपील संख्या 214/96 प्रस्तुत की, जिस पर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 14–01–1999 को निम्नानुसार विवेचन किया गया :–

''अपीलान्ट एक बेवा औरत है तथा वह लड़ने के लिए सक्षम भी नहीं है इस कारण मैं रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की भूमि को निरस्त कर पुनः बिलानाम सरकार करा अपीलान्ट के नाम दर्ज कराना उचित नहीं समझती हूॅ। इस संबंध में तहसीलदार गिर्वा ने

तद्नुसार हम अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को प्रथम दृष्टया तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटि पूर्ण पाते हैं।

अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 18–05–2017 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि हमारे द्वारा उपरोक्त किये गये विवेचन के दृष्टिगत अपीलान्ट को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर, पेश शुदा साक्ष्यों का विधिवत विवेचन करते हुए प्रकरण में पुनः

निर्णय पारित करें। पक्षकारान अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 26–02–2018 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 26–12–2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

क्रम संख्या	विवरण दस्तावेज	दिनांक
1-	पार्टनरशिप एक्ट के तहत द रजिस्टार ऑफ द फर्म्स जयपुर द्वारा जारी प्रमाण-पत्र	20-04-1981 से 05-07-2011 तक
2-	सप्लीमेन्ट्री लीज डीड	01-03-1982
3-	कुँआ खोदने की परमिशन द्वारा रिको	01-03-1983
4-	partnership deed फाइन केमिकल्स	05-07-2011
5-	पेन कार्ड फाइन केमिकल्स का	
6-	आधार कार्ड मनोज जैन	
7-	आधार कार्ड अजय जैन	
8-	पेन कार्ड मनीष कुमार जैन	
9-	नक्शा फाइन केमिकल्स	
10-	राजस्थान वित्त निगम जयपुर द्वारा मैनेजर सिंडीकेट बैंक उदयपुर को टर्म लोन बाबत् लिखा गया पत्र मय लोन फॉर्म	2 12-1982
11-	Dy Director (infra) RIICO Ltd. उदयपुर द्वारा बिल्डिंग प्लान Approval बाबत् फाइन केमिकल्स को लिखा गया पत्र	25-09-1982
12-	फाइन केमिकल्स द्वारा प्रबन्ध निदेशक राजस्थान वित्त निगम जयपुर को लिखा पत्र	17-07-1987
13-	दी ऑरियन्टल फायर एण्ड जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड द्वारा जारी प्रोविज़नल कवर नोट नम्बर 2/118086	10-11-1982
14-	दी यूनाइटेड इण्डिया इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड द्वारा जारी फायर कवर नोट नम्बर NR/83/227983	08-03-1984

15–	राजस्थान वित्त निगम द्वारा जारी एन.ओ.सी. प्रमाण-पत्र वास्ते फाइन केमिकल्स	05-06-1996
16–	राजस्थान वित्त निगम उदयपुर द्वारा जारी फाइन केमिकल्स का एकाउण्ट स्टेटमेन्ट एकाउण्ट कोड 2206	01-04-1986 से 31-03-1987
17–	राजस्थान वित्त निगम उदयपुर द्वारा जारी फाइन केमिकल्स का एकाउण्ट स्टेटमेन्ट एकाउण्ट कोड 2201	01-04-1986 से 31-03-1987
18–	राजस्थान वित्त निगम उदयपुर द्वारा जारी फाइन केमिकल्स का एकाउण्ट स्टेटमेन्ट एकाउण्ट कोड 2201	01-04-1986 से 31-03-1987
19–	राजस्थान वित्त निगम उदयपुर एवं फाइन केमिकल्स के मध्य हुआ इकरार	17-07-1987
20–	राजस्थान बिक्रीकर अधिनियम 1955 के अधीन सम्मन वास्ते फाइन केमिकल्स	09–09–1983
21–	वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी कर निर्धारण आदेश	22–08–1983
22–	वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी पत्र वास्ते फाइन केमिकल्स	22–10–1983
23–	राजस्थान बिक्रीकर अधिनियम 1955 के अधीन सम्मन वास्ते फाइन केमिकल्स	04-08-1983
24–	वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी भुगतान के लिये मांग का सूचना-पत्र	26-08-1983
25–	वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी भुगतान के लिये मांग का सूचना-पत्र	15-03-1988
26–	वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी कर निर्धारण आदेश	15–03–1988
27–	वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी भुगतान के लिये मांग का सूचना-पत्र वर्ष 1983-84 अन्डर सेक्शन 10(03) ऑफ आर.एस.टी. एक्ट	15–03–1988
28–	वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी भुगतान के लिये मांग का सूचना-पत्र वर्ष 1983-84 आर.एस.टी.	19-10-1983
29–	वाणिज्यिक कर विभाग अतिरिक्त आयुक्त राजस्थान जयपुर द्वारा निर्धारण की गई राशि की वसूली स्थगन करने का आदेश	24-10-1983
30–	राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा जारी स्थगन आदेश	15–03–1988
31–	वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी भुगतान के लिये मांग का सूचना-पत्र वर्ष 1984-85 सी.एस.टी.	24-12-1992
32–	वाणिज्यिक कर विभाग आयुक्त राजस्थान जयपुर द्वारा जारी आदेश	25-11-1988
33–	वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत (ब) उदयपुर द्वारा आर.एस.टी. अधिनियम की धारा 17-ए के अधीन ब्याज एवं शास्ति की राशि को वेव करने बाबत् प्रार्थना-पत्र	23-12-1988
34–	वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत (ब) उदयपुर द्वारा आर.एस.टी. अधिनियम की धारा 16 (3)(एच) के अन्तर्गत अभियोजन चलाये जाने के सम्बन्ध में लिखा गया पत्र	15-03-1988
35–	वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत (ब) उदयपुर द्वारा आर.एस.टी. अधिनियम की धारा 17-ए के अधीन ब्याज एवं शास्ति	15–03–1988